

प्रेषक,

मधु जोशी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा,  
उ.प्र., इलाहाबाद।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ  
संख्या 405-A/रा०उ०शि०प०/20  
दिनांक 15-09-2016

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 09 सितम्बर, 2016

विषय: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के आधार पर अल्पसंख्यक संस्था 'ट्रीट' किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर उन्हें अल्पसंख्यक संस्था की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्रम	संस्था का नाम	भारत सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र में अंकित फाइल नम्बर	धर्म
1	अकबरी बेगम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गनेशपुर, रहमानपुर, देवां रोड, लखनऊ, उ.प्र.	F. No. 541 & 542 OF 2012/61978 दिनांक 10 जुलाई 2012 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 18 जुलाई 2012	मुस्लिम
2	अकबरी बेगम लॉ कॉलेज, गनेशपुर, रहमानपुर, देवां रोड, लखनऊ		
3	मजीदुन निसा गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जुम्मनपुरा, पोस्ट-कोपागंज, तहसील-मऊनाथभंजन, जिला-मऊ, उ.प्र.	F. No. 1582 OF 2009 – 40319 दिनांक 22 जनवरी 2010 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 21 जनवरी, 2010	मुस्लिम
4	पूर्वांचल महिला डिग्री कॉलेज, भिखारीपुर, मऊ, उ.प्र.	F.No. 886 OF 2014 – 22712 दिनांक 27 जनवरी 2015 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 16 दिसम्बर 2014	मुस्लिम
5	पब्लिक महिला सहर डिग्री कॉलेज, बरामदपुर, मोहम्मदाबाद गोहना, जिला-मऊ उ.प्र.	F.No. 707 OF 2009 दिनांक 20 अक्टूबर 2009 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 26 अक्टूबर 2009	मुस्लिम

6	मिर्जा अहसानुल्लाह बेग निसवाँ (गर्ल्स) डिग्री कॉलेज, अंजानशहीद, आजमगढ़, उ.प्र.	F.No. 177 OF 2009 – 36131 दिनांक 15 जून 2009 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 15 जून 2009	मुस्लिम
7	एच.ए. रब गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जहांगीराबाद, मऊनाथभंजन, मऊ, उ.प्र.	F.No. 225 TO 227 OF 2013 – 14191 दिनांक 02 मई 2014 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 22 अप्रैल 2014	मुस्लिम
8	एच.एम. महाविद्यालय, पीवाताल, मऊ, उ.प्र.	F.No. 1612 OF 2011 – 56063 दिनांक 03 नवम्बर 2011 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 03 नवम्बर 2011	मुस्लिम

(2) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) से आच्छादित पाठ्यक्रमों हेतु उक्त संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में 'ट्रीट' किये जाने का निर्णय लिया गया है।


भवदीय,  
|  
(मधु जोशी)  
विशेष सचिव।

संख्या-1601(1)/सत्तर-6-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट नं. 4, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
- 2- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ.प्र. शासन, लखनऊ
- 3- कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 4- कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
- 5- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ एवं वाराणसी।
- 6- सचिव/प्रबन्धक, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- 7- उच्च शिक्षा अनुभाग-3
- 8- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 9- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

  
(अखिलेश अग्निहोत्री)  
संयुक्त सचिव।